राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2100/2021

गुलाब सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.06.2021
आदेश की दिनांक : 26.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विवादग्रस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुये यह निर्देश दिये जावे कि रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अपीलार्थी का सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का परिणाम घोषित किया जावे और डिप्लोमाधारी संवर्ग में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करते हुये समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 04.04.1998 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी

और अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के विरूद्ध जांच की गई, जिसमें अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड़ से आदेश दिनांक 21.06.2016 के द्वारा दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की और उसे खारिज कर दी गई। माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष रिव्यू याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका आज दिनांक तक कोई निर्णय नहीं किया गया। उनका कथन है कि एक लघु दण्ड के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी वरिष्ठ है और अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी गई, जिस पर अपीलार्थी वर्तमान में कार्य कर रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक अभियंता के पद के लिये पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर भी विचार किया गया, परंतु पदोन्नति परिणाम घोषित नहीं किया गया। सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है। अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति के लिये योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई बडी प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नहीं है। मात्र एक लघु दण्ड जो एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं शीर्षस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के दण्ड से दण्डित होने पर पदोन्नति रोके जाना उचित नहीं माना है और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विवादग्रस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुये यह निर्देश दिये जावे कि रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अपीलार्थी का सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का परिणाम घोषित किया जावे और डिप्लोमाधारी संवर्ग में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करते हुये समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियम 17 के अंतर्गत दण्डादेश दिनांक 21.06.2016 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के दण्ड से दण्डित किया गया। पदोन्नति के लिये सेवा अभिलेख स्वच्छ होना चाहिये और स्वच्छ होने पर ही पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है, जिसके कारण

अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। पदोन्नति हेतु नियमानुसार 10 वर्ष का अनुभव कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) के पद पर वांछनीय वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अपीलार्थी पात्रता सूची में शामिल किया गया। परंतु उक्त दण्डादेश के प्रभाव के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु अपात्र घोषित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 04.04.1998 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के विरूद्ध जांच की गई, जिसमें अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड़ से आदेश दिनांक 21.06.2016 के द्वारा दण्डित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के संबंध में परिणाम घोषित नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 21.06.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से अपीलार्थी को दण्डित किया गया है। हमारे मत में सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिया गया दण्ड एक लघु दण्ड की श्रेणी में आता है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.07.2006 के अनुसार असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना और असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के दण्डादेश हेतु एक बार पदोन्नति रोकने का प्रावधान है, परंतु यह भी सत्य है कि जिस तरह से अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.06.2016 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश जारी किया गया है। उसी प्रकार एक बार पदोन्नति रोके जाने का पृथक से आदेश जारी किया जाना भी अनिवार्य है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पृथक से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया और न ही प्रत्यर्थी विभाग ने अपने लिखित जवाब में उक्त संबंध में कोई उल्लेख भी नहीं किया है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.06.2016 के अंतर्गत उसकी पदोन्नति को रोका जाना उचित एवं विधि सम्मत नहीं है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2013) 6 एससीसी 287 सिविल अपील संख्या 2970–75/2013 सर्व उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं अन्य बनाम मनोज कुमार चाक

वाले मामले में पारित आदेश दिनांक 09.04.2013 में भी इस प्रकार पदोन्नति रोका जाना विधि विरूद्ध माना है। अतः अपीलार्थी भी पदोन्नति पाने का हकदार है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10978/2010 डॉ. अशोक सिंघवी वाले मामले में भी कार्मिक विभाग द्वारा उक्त परिपत्र दिनांक 26.07.2006 के संबंध में इस तरह लघु दण्ड के आधार पर पदोन्नति रोका जाना उचित नहीं माना है, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त मामले को खंडपीठ के समक्ष डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 232/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम डॉ. अशोक सिंघवी वाले मामले में दिनांक 06.08.2013 को निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"A glance at the impugned order passed by the learned Single Judge clearly and unequivocally reveals that the learned Single Judge has simply confined the relief to the respondent vis-a-vis his right of consideration for promotion and question of his suitabilit/for promotion has been left open to be decided by the competent authority. Learned Single Judge has further observed that if the penalty suffered by the incumbent adversely effects minimum merit necessary for efficiency of administration, the DPC can adjudge him unsuitable for promotion. Learned writ Court has further concluded that debarring and incumbent from his right of consideration for promotion on the strength of Circular dated 26th of July 2006 is not sustainable and that being so issued directions to consider the candidature of the respondent ignoring the said Circular. On examining the impugned order in the light of Rule 24A of the Rules of 1963 and on the touchstone of the Constitution Bench judgment of the Apex Court in Guman Singh's case (supra), and the latest verdict of the Hon'ble Apex Court in case of Sarva U.P. Gramin Bank's case (supra), we do not feel persuaded to interfere with the impugned order. The legal precedents which are cited by the learned Addl. Advocate General, are having no bearing whatsoever on the issue involved in the matter, and therefore, these judgments are of no help to the appellants. We, therefore, fully concur with the impugned order passed by the learned Single Judge and find no merit in this appeal.*
>
> *Resultantly, this intra-court appeal is hereby dismissed. Costs are made easy."*

उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त स्पेशल अपील को खारिज किया गया और माननीय एकल पीठ आदेश को सही मानते हुये ऐसी पदोन्नतियों को रोकना अनुचित माना है। इस प्रकार उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अपीलार्थी की पदोन्नति रोका जाना विधि सम्मत नहीं

है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 232/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम डॉ. अशोक सिंघवी में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के संबंध में परिणाम जारी किया जावे और यदि अपीलार्थी उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध सहायक अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे सहायक अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर उक्त रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त लाभ आदि भी दिये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष